निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.23(   )स्था / निकाशि / निर्देश / 2012/357   दिनांकः– 18-5-12

परिपत्र

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010(RVRES) के तहत नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों के रिकार्ड संधारण, अवकाश स्वीकृत करने एवं वेतन भुगतान के सम्बन्ध में प्राचार्य राजकीय महाविद्यालयों के द्वारा कुछ बिन्दुओ पर मार्गदर्शन चाहा गया है । जिनका परीक्षण के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये जाते है –

अवकाश के सम्बन्ध में –

(i) RVRES 2010 के अन्तर्गत परिवीक्षा काल के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इसलिए नियुक्त कार्मिको को परिवीक्षा काल में नहीं मानते हुए, नियमानुसार देय आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाना है ।

(ii) अकादमिक अवकाश विभाग के पत्रांक 327 दिनांक 10.5.12 एवं संशोधित पत्र दिनांक 334 दिनांक 16.5.12 के अनुसार स्वीकृत किया जाना है ।

(iii) RVRES 2010 के तहत नियुक्त कार्मिको को ग्रीष्मावकाश के दौरान ठहराव हेतु निर्देशित किये जाने पर, राजस्थान सेवा नियम के नियम 92B के अधीन उपार्जित अवकाश का लाभ देय होगा ।

(iv) RVRES 2010 के तहत नियुक्त कार्मिको को उपार्जित अवकाश एवं अर्द्धवेतन अवकाश राजस्थान सेवा नियमो के तहत अर्जित करने के पश्चात स्वीकृत किया जा सकेगा ।

गत भुगतान प्रमाण पत्र (LPC) के सम्बन्ध में –

(i) RVRES 2010 के तहत नियुक्त कार्मिको को सरकार में पद ग्रहण करने की दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय महाविद्यालयों के अध्यापको, जिनमे पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षक अनुदेशक भी सम्मिलित है के लिए पुनरीक्षक वेतनमान) नियम 2009 के अनुरूप लाभ अनुज्ञात किया जाना है । अतः गत भुगतान प्रमाण पत्र (LPC) उक्त वेतन के अनुरूप संस्था से प्राप्त होनी आवश्यक नहीं है ।

(ii) जिन कार्मिको का छठे वेतनमान में विभाग के द्वारा वेतन नियतन किया जा चूका है उन कार्मिको को ही छठे वेतनमान के अनुरूप भुगतान किया जाना है । यदि कार्मिक ने संस्था के स्तर से किये जा रहे छठे वेतनमान के अनुरूप किये जा रहे भुगतान के आधार पर गत भुगतान प्रमाण पत्र (LPC) प्रस्तुत कर दी गई हो तो उक्त LPC के आधार पर भुगतान नहीं किया जाना है ।

मकान किराये भत्ते के सम्बन्ध में –

(i) मकान किराया भत्ता नियम 1989 के नियम 4(4)के अनुसार इन नियमों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर राजकीय कर्मचारी को भत्ता उस दिन से मंजूर किया जायेगा जिस दिन किराए / स्वामित्व की जगह ग्रहण की हो, परन्तु अगर जगह ग्रहण करने के एक मास के भीतर अगर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, वरना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के दिन से भत्ता अनुग्रहीत होगा । नियम 9 के अनुसार मकान किराये भततो की स्वीकृति जारी की जावेगी ।

रिफ्रेशर/ओरियेन्टेशन कोर्स के सम्बन्ध में –

RVRES 2010 के तहत नियुक्त कार्मिक पूर्व के बकाया रिफ्रेशर/ओरियेन्टेशन कोर्स करना चाहता है तो प्राचार्य अपने स्तर पर शैक्षणिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए निम्न शर्तो के आधार पर अनुमति प्रदान कर सकता है –

(i) रिफ्रेशर/ओरियेन्टेशन कोर्स के लिए नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कराकर जाना होगा अर्थात इसके लिए Duty Leave देय नही होगी ।

(ii) रिफ्रेशर/ओरियेन्टेशन कोर्स करने के फलस्वरूप राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आता है तो स्वीकार्य नहीं होगा ।

वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ के सम्बन्ध में –

(i) राज्य कार्मिको को दिनांक 30.12.08 तक देय वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया गया है अर्थात उक्त दिनांक के पश्चात देय वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ राज्य सरकार से दिशा निद्रेश प्राप्त होने तक देय नही है । इसलिए RVRES 2010 के तहत नियुक्त कार्मिको को दिनांक 20.12.2008 के पश्चात देय वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ संस्थाओं के द्वारा दे दिया गया हो तो नये आदेश आने तक स्वीकार्य नहीं है ।

(सुबीर कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (अनुदान/प्रशासन/अकादमी/योजना) कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रिय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर ।
6. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर ।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राज., जयपुर ।
8. समस्त शैक्षणिक कार्मिक RVRES

9- डॉ.धीरेन्द्र देवर्षि, बेबसाइट प्रभारी

9- रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर